

:: कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला आलीराजपुर म0प्र0

क्रमांक/निर्माण/2026/1028

आलीराजपुर, दिनांक 17/02/2026

//संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना//

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीयकृत प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी/उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन निर्माण हेतु प्रमुख अभियंता (भवन) लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा जारी भवन एवं विद्युत कार्य हेतु एस.ओ.आर दिनांक 01 जनवरी 2024 से प्रभावशील एवं आज दिनांक तक संशोधनों सहित पर निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारियां www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्रं	ई- टेण्डर क्रं.	निर्माण कार्य का नाम	विकास खण्ड	ठेके की अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि (लाखों में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2026_TAD_483325	जूनियर बालक छात्रावास वालपुर में नवीन भवन निर्माण मय विद्युतिकरण सहित	सोण्डवा	321.01	321010	15000	उपर्युक्त	18 माह वर्षाकाल सहित

नोट:-

- उक्त निविदाओं को वेब साईट पर ऑनलाईन निविदा प्रपत्र (कय करने की तिथि 19.02.2026 समय प्रातः 10.00 बजे तथा निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11.03.2026 समय सांय 6.00 बजे तक निर्धारित है। (Tender Document) बेसाईट <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से कय किया जावेगा।
- निविदा की विस्तृत समस्त शर्तें **Appendix 2.10 Tender Document** अनुसार रहेगी, विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> देखी जा सकती है या सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर में देखी जा सकती है।
- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतिक्षा न करे। शीघ्रताशीघ्र बिड जमा करे। वेबसाईट में किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति में ऑनलाईन (हार्ड कॉपी में) मान्य नहीं होगा यदि वित्तीय प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफे में या किसी भी प्रकार से ऑफलाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।

Key Dates

Sr.No.	Work Department stage	Start	
		Date	Time
1	Publishing Date	18.02.2026	10.00 AM
2	Document Download/Sale start Date	19.02.2026	10.00 AM
3	Seek Clarification Strat Date	--	--
4	Seek Clarification End Date	--	--
5	Pre Bid Meeting Date	--	--
6	Bid submission Strat Date	19.02.2026	10.30 AM
7	Bid submission Closing Date	11.03.2026	6.00 PM
8	Bid Opening Date	13.03.2026	11.00 AM



ऑनलाईन निविदा की शर्तें:-

- 1- प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निम्न दस्तावेज पी.डी.एफ. लिफाफा-ए में स्कैन कर फाईल अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2- अमानत राशि जो सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग अलीराजपुर के कार्यालय के पक्ष में देय एवं स्थानीय शाखा में भुगतान के योग्य हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हों।
- 3- निविदाकार को अपने कार्य में लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीयकृत ऑनलाईन पंजीयन व्यवस्था में पंजीकृत होने का पंजीयन अनिवार्य है। जिन ठेकेदारों का पंजीयन नहीं हुआ है या लायसेंस मियाद समाप्त हो गई है, तो उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा।
- 4- वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, पेन नम्बर, जीएसटी, ई.पी.एफ पंजीयन, (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ,ई.एस.आई.सी. का पंजीयन एवं शपथ पत्र एनेक्जर-बी (स्टॉम्प-रू 200) organizational Detail से अनुलग्नक-एच (Annexure-H) तथा निविदाकार को तकनीकी योग्यता हेतु (तकनीकी बिड डाक्युमेंट) निविदा प्रपत्र के Annexure-I के अन्तर्गत Format I-1 to Format-I-5 तक पूर्ण कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। तथा फर्म/निविदाकार के बैंक खाते की पास बुक की प्रति स्पष्ट रूप से अपलोड करना होगी जिसमें संबंधित का आयएफएससी कोड व बैंक खाता क्रमांक अंकित हो।

निविदाकार के द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज (निविदा शर्तों के अनुसार) सही पाये जाने पर ही वित्तीय ऑफर ऑनलाईन रूप में निर्धारित दिनांक को खोले जावेंगे।
- 5- भवन में विद्युत कार्य हेतु विद्युत लायसेंसधारी वैद्य पंजीयन प्रमाण-पत्र दस्तावेज अपलोड करना होगी।
- 6- निविदाकार को किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नहीं होने संबंधी का 200 रु के नॉन ज्युडीसियल स्टाम्प या ई-स्टॉप (10 रु नोटरियल टिकट सहित) पर प्रस्तुत करना होगा। यदि ब्लैक लिस्टेड होने संबंध में कोई जानकारी विभाग को प्राप्त होती है तो इस स्थिति में संबंधित निविदाकार / ठेकेदार की निविदा/अनुबंध को समाप्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु शासन को होने वाली आर्थिक हानि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 7- निविदाकार को विगत 03 वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं 03 वर्ष की जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


निविदा के लिये अपेक्षित किसी भी दस्तावेज के ऑनलाईन प्राप्त नहीं होने की दशा में निविदाकार अपात्र रहेंगा, निरस्त हो जाने पर संबंधित निविदाकार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।
- 8- एक करोड एवं एक करोड से अधिक कार्यों पर नियमानुसार तकनीकी बिड डाक्युमेंट अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- 9- यदि किसी निविदाकार द्वारा अंको एवं शब्दों में दी गई दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।
- 10- पूर्ण निविदा प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक एवं समय के अनुसार मान्य किये जावेंगे। ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदा की राशि समायोजित नहीं कि जावेगी। अमानत राशि फिक्स डिपोजिट संबंधित सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग अलीराजपुर के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो।
- 11- तकनीकी बिड कार्यों में (Last 5 Year Average Annual Turn Over Certificate)(UDIN) सहित प्रस्तुत करना होगा।
- 12- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र भोपाल के आदेशानुसार निर्माण कार्यों में फलाई ऐष ब्रिक्स का उपयोग नियमानुसार किया जावेगा।

- 13- निविदाकार को तकनिकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण रूप से उपयुक्त सामग्री का उपयोग करते हुए विभागीय उपयंत्रों के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा तथा वरिष्ठ विभागीय/अन्य तकनिकी अधिकारियों के द्वारा स्वीकृत कार्य संबध में कोई तकनिकी सुधार कार्य के निर्देश प्रदान किये जाते है तो विभागीय निर्देशों के तहत तकनिकी रूप के कार्यों को करना अनिवार्य होगा।
- 14- निर्माण कार्यों पर देखरेख हेतु ठेकेदार को नियमानुसार स्नातक सिविल इंजिनियर कार्यस्थल पर रखना अनिवार्य होगा, अनुबंध के पूर्व साईट इंजिनियर के अनुबंध की कॉपी इस कार्यालय में जमा करनी होगी। निविदाकार द्वारा तकनिकी अमले को नहीं लगाने पर पैनल्टी की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी, वर्क प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध विखण्डित कर ईएमडी जप्त कर पुनःनिविदा आमंत्रित की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 15- कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मुल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
- 16- अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण सम्पदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 17- कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा में अल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सुची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने उपरांत किया जावे।
- 18- विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा, बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के स्थल पर निविदा के आमंत्रित कार्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तनशील कार्य नहीं किया जावेगा, यदि निविदाकार द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो निविदा प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 की कण्डिका अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 19- कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का ही होगा। ठेकेदार की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि कार्य से संलग्न मजदूरों की मजदुरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही हो, साथ ही मजदुरों की सुरक्षा बीमा, सुरक्षा उपकरण हेतु भी ठेकेदार व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी होगा किसी भी दशा में विवाद की स्थिति अथवा दुर्घटना की स्थिति में विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। साथ ही मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन स्थानीय पुलिस थाने से करवाना अनिवार्य होगा।
- 20- निविदाकार या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रत्येक कार्य के लिए निविदाकार के द्वारा पृथक-पृथक रूप से निविदा प्रस्तुत की जावेगी।
- 21- निविदा स्वीकृति उपरांत अनुबंध हेतु प्रेषित पत्र के तहत निविदाकार को 10-दिवस में अनुबंध करना होगा।

अनुबंध संपादित नहीं करने पर म.प्र.शासन, लोक निर्माण मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/556/8003/19/योजना/2004, दिनांक 28.01.2005 अनुसार अमानत राशि भी राजसात कर ली जावेगी। विभाग द्वारा जारी प्रथम पत्र में उल्लेखित समय सीमा में यदि ठेकेदार द्वारा performance Guarantee एवं Additional Performance Guarantee की राशि की एफडीआर सहित अनुबंध हेतु उपस्थित नहीं होता है तो विभाग द्वारा शासन हित में एकतरफा कार्यवाही करते हुये निविदाकार द्वारा कार्य हेतु जमा की गई धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी एवं इस हेतु समयावधि उपरांत ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत काई भी क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा।

- 22- वर्क कॉन्ट्रैक्ट के मुल्य पर शासन की अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई 2025 द्वारा दिये गये संशोधन अनुसार पचास लाख तक 1000/-रूपये तथा पचास लाख से अधिक है अध्यधीन रहते हुए, 0.2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य रहेगा।
- 23- किसी भी कार्य की निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात 5% performance Guarantee राशि की एफ.डी.आर. अनुबंध के पूर्व जमा करना अनिवार्य है जो सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो।


- 24- किसी भी कार्य हेतु निविदा दर एस.ओ.आर की दर से 10% कम (Below) से अधिक कम (Below) प्राप्त होने पर न्यूनतम निविदा दर हेतु Additional Performance Guarantee राशि की एफ.डी.आर अनुबंध के पूर्व सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर के पक्ष में देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। (म.प्र.लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रं -एफ-53/02/2011/यो/19/524,भोपाल,दिनांक 14.02.2025 अनुसार लागू होगी)
- 25- कार्य हेतु दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा, यदि निविदाकार द्वारा समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो शासन नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही राजस्व वसुली की भांती की जावेगी। निविदा में अंकित कार्य का स्थान परिवर्तन करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल/जिला कार्यालय अलीराजपुर को पूर्णतः अधिकार रहेगा।
निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात कार्यादेश जारी होने पर 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो स्वीकृत निविदा निरस्त किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को आगामी कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा एवं कार्य प्रारंभ न किये जाने के फलस्वरूप पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की स्थिति में निविदाकार के द्वारा जमा की गई एफडीआर/performance Guarantee एवं Additional performance Guarantee की राशि राजसात की जावेगी।
- 26- कार्यो के दयको का भुगतान शासन से कार्य स्वीकृति तहत उपलब्ध कराये जाने वाले मदवार आवटन के अनुसार किया जावेगा।
- 27- निविदा में अंकित कार्य की मात्रा को कम या ज्यादा करने हेतु कार्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।
- 28- शासन नियमानुसार लागु व मान्य सुरक्षा निधि/आयकर/जीएसटी तथा श्रमिक कल्याण निधि की राशि का नियमानुसार कार्य के देयको से कर कटोत्रा किया जावेगा।
- 29- निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिज सामग्री की रायल्टी का भुगतान ठेकेदारों को करना होगा। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की स्वयं होगी। खनिज विभाग से रायल्टी चुकता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यालय में देयक सहित प्रस्तुत किया जावेगा।
- 30- कार्य की प्रगति प्रतिवेदन के साथ स्थल में चल रहे निर्माण कार्य के सभी कोण से कम से कम 8 रंगीन फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे बिना फोटो के किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 31- निविदाकार/ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की गारंटी तीन वर्ष की होगी एवं तीन वर्षों तक कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।
- 32- कार्य की परफारमेंस,अतिरिक्त परफारमेंस एवं सुरक्षा निधि(तीन वर्ष बाद वापस की जाती है) की राशि कार्य पूर्ण होने के बाद नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 33- निविदाकार के द्वारा विभाग/कार्यालय अन्तर्गत स्वीकृत अनुबंधित किसी कार्य को ले-आउट देने के 15 दिवस के अंदर बंद/अप्रारंभ स्थिति में रखा या छोड़ा गया है तो वह ठेकेदार/निविदाकार इस निविदा प्रस्तुति के लिये अपात्र रहेगा।
- 34- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा। कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र आलीराजपुर रहेगा।
- 35- निविदायें कलेक्टर एवं गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी।
- 36- निविदा से संबंधित किसी भी वाद-विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर

पृ0कमांक / निर्माण / 2026 / 1029
प्रतिलिपि:-

आलीराजपुर, दिनांक 17/02/2026

- 1- आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 2- कलेक्टर, जिला आलीराजपुर ।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आलीराजपुर ।
- 4- संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभाग इन्दौर ।
- 5- कार्यपालन यंत्री, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.भोपाल / इंदौर ।
- 6- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भवन) आलीराजपुर ।
- 7- जिला कोषालय जिला आलीराजपुर ।
- 8- सहायक संचालक जिला जनसम्पर्क कार्यालय आलीराजपुर की ओर सुचनार्थ ।
- 9- सहायक यंत्री, जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर ।
- 10- खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड अलीराजपुर / उदयगढ़ / जोबट / च.शे.आ.नगर ।
- 11- संबधित प्राचार्य / अधीक्षिका / अधीक्षकसमस्त ।
- 12- उपयंत्री जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर ।
- 13- विभागीय जनजातीय कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।


सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग आलीराजपुर